27/11/25 पत्रावली पेश की। प्रार्थी वकील एवं विपक्षी
वकील उपस्थित हैं। [illegible]
महेन्द्र बालाजी मंडल [illegible] में पुनर्वास
के सम्बन्ध में अतिक्रमण [illegible] है कि
मूल पत्रावली उक्त न्यायालय [illegible]
की गई है। न्यायालय [illegible]
5 दिनांक 21/11/2025 को [illegible]
उक्त न्यायालय को अधिकार का प्रयोग है।
एवं प्रकरण में उक्त न्यायालय के विधि
के पश्चात आगामी कार्यवाही संभव है।

अतः प्रकरण में उक्त न्यायालय को
विधि तथा मूल पत्रावली उक्त न्यायालय
द्वारा में प्राप्त होने के पश्चात उक्त
नस्ती पर विधिवत आदेश पत्रावली पर
लिया जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागपुर